राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर – 39 / 2021 जीसीएमएस नं.– 2021 / 168

लाल सिंह उर्फ धर्मपाल पुत्र श्री रामधन उम्र 65 वर्ष जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

.... वादी

बनाम

1. राजपाल पुत्र श्री जगनलाल
2. लक्ष्मीकान्त पुत्र जगनलाल
3. प्रेम पुत्री जगनलाल
4. सुमन देवी पुत्री जगनलाल
   समस्त जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुंझुनूं

प्रतिवादीगण

<u>दावा :– खाता विभाजन, भूमि विनिमय अनुसार घोषनात्मक</u>

सेवामें वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता सं. 151 के खसरा नं. 499 रकबा 0.33 है0 ख0 न0 567 रकबा 0.07 है0 ख0 न0 693 / 102 रकबा 0.24 है0 ख0 न0 695 / 102 रकबा 0.25है0 ख0 न0 697 / 124 रकबा 0.67है0 ख0 न0 701 / 320 रकबा 1.08है0 ख0 न0 704 / 469 रकबा 0.33है0 ख0 न0 706 / 469 रकबा 0.33 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.30है0 के खातेदार वादी काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड व काबिज काश्त है।
2. यह कि वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 41 के खसरा नं. 231 रकबा 0.12 है0 खसरा नं. 376 रकबा 0.30है0 ख0 न0 694 / 102 रकबा 0.25 है0 ख[illegible]96 / 102 रकबा 0.24है0 ख0 न0 698 / 124 रकबा 0.33है0 ख0 [illegible] ख0 न0 700 / 320 रकबा 0.30है0 ख0 न0 702 / 320 रकबा 0.66 है0 [illegible] 705 / 469 [illegible] 0.33है0 खसरा नं.707 / 469 रकबा 0.33है0 कुल किता [illegible] कुल रकबा 3.19 है0 [illegible] खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है।

3. यह कि वाके ग्राम माजरी में स्थित वादी की खातेदारी कृषि भमि खसरा नं. 707/469 रकबा 0.33 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खसरा नं. 707/469 रकबा 0.33 है0 भूमि प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। लेकिन वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि का विनिमय यानि की अदला–बदली कर रखी है। वादी खसरा नं. 707/469 रकबा 0.33 है0 भूमि पर काबिज काश्त है। लकिन यह भूमि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। तथा वादी ने खसरा न. 707/469 रकबा 0.33है0 के बदल में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 406/469 रकबा 0.33 है0 भूमि दे रखी है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने कृषि भूमि बाहमी विनिमय कर रखा है तथा उक्त बाहमी विनिमय के मुताबिक सभी काश्तकार अपने–अपने हिस्से पर शांति पूर्वक रूप से काबिज काश्त है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि को ओर अधिक उपजाऊ करने के लिए खाद डालकर समतल कर अधिक उपजाऊ किया है, पेड़–पौधे लगाये है तथा वादी मौके पर शांतिपूर्वक रूप अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।

4. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण पैत्रिक भूमि है। वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 706/469 रकबा 0.33है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 707/469 रकबा 0.33 है0 भूमि पर वादी काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त अनुसार ही विनिमय, अदला–बदली कर रखी है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में विवादित वाद वर्णित भूमि पर विनिमय नहीं होने से वादी व प्रतिवादीगण को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, ऋण लेने व अपनी–अपनी भूमि का विकास करने में कठिनाई आ रही है इसलिये विवादित वाद वर्णित भूमि के विनिमय के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाना आवश्यक है।

5. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि के खातेदार वादी व प्रतिवादीगण ने बाद वर्णित भूमि का विनिमय के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने के लिए गत 5 रोज पूर्व राजस्व कर्मचारियों को कहा तो राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में विमनमय के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करने से इन्कार कर दिया इसलिए दावा के लिए आधार विवाद पैदा हुआ अतः यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

6. यह कि विवादित वादवर्णित कृषि भूमि का पक्षकारान ने मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार विनिमय कर रखा है तथा बाहमी विनिमय के अनुसार मौके पर काबिज काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

है। वादी व प्रतिवादीगण ने गत 5 रोज पूर्व राजस्व कर्मचारियों को हिस्से व कब्जेशुदार भूमि का विनिमय अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में विनिमय अनुसार रिकोर्ड में अमल दरामद करने को कहा तो राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में विनिमय अनुसार रिकोर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित करने से इन्कार कर दिया अतः दावा अन्दर मियाद सेवामें पेश है।

7. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं में स्थित है जो कि माननीय न्यायालय हाजा की सीमा में स्थित है इसलिये वाद सुनवाई का श्रवानाधिकार न्यायालय हाजा को ही है।
8. यह कि वाद पत्र निर्धारित न्यायालय शुल्क पर श्रीमानजी की सेवामें पेश है।
9. यह कि वादी का शपथ—पत्र संलग्न वाद पत्र है।
10. यह कि राजस्व रिकोर्ड की सत्य प्रतिलिपि लेने के बाद राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अतः वादी की और से वाद—पत्र पेश कर अर्ज है कि :—

(क) कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आश्य का डिक्री फरमाया जावे कि वाके ग्राम माजरी में स्थित कृषि भूमि का विनिमय अनुसार खाता सं. 151 के खसरा न. 706 / 469 रकबा 0.33है0 का खातेदार प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा विवादित वाद वर्णित भूमि खाता सं. 41 के खसरा न. 707 / 469 रकबा 0.33है. का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करवाया जावे

(ख) कि अन्य अनुतोष जो आयाचित रह गया हो जिसे माननीय न्यायालय हाजा उचित समझे वादी को दिलवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित भूमि कृषि भूमि खसरा नम्बर 706 / 469 रकबा 0.33 है., भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के कब्जेकास्त में है तथा खसरा नम्बर 707 / 469 रकबा 0.33 है. भूमि वादी के कब्जेकास्त में है। खसरा नम्बर 707 / 469 रकबा 0.33 है. का खातेदार वादी [illegible] खसरा नम्बर 706 / 469 रकबा 0.33 है. का खातेदार प्रतिवादी संख्या [illegible] लगायत 4 को विनियम अनुसार खातेदार कास्तकार धोषित किया जावे तथा खाता विभाजन [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

वादी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता संख्या 151, जमाबंदी सं. 2075–78 खाता संख्या 41 पेश किये गये। मौखिक साक्ष्य में लालसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादी वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित भूमि कृषि भूमि खसरा नम्बर 706 / 469 रकबा 0.33 है., भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के कब्जेकास्त में है तथा खसरा नम्बर 707 / 469 रकबा 0.33 है. भूमि वादी के कब्जेकास्त में है। खसरा नम्बर 707 / 469 रकबा 0.33 है. का खातेदार वादी को एवं खसरा नम्बर 706 / 469 रकबा 0.33 है. का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को धोषित किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित भूमि कृषि भूमि खसरा नम्बर 706 / 469 रकबा 0.33 है., भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के कब्जेकास्त में है तथा खसरा नम्बर 707 / 469 रकबा 0.33 है. भूमि वादी के कब्जेकास्त में है। खसरा नम्बर 707 / 469 रकबा 0.33 है. का खातेदार वादी को एवं खसरा नम्बर 706 / 469 रकबा 0.33 है. का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को धोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हक में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 04/08/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:31 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 39/2021 जीसीएमएस नं.– 2021/168

लाल सिंह उर्फ धर्मपाल पुत्र श्री रामधन उम्र 65 वर्ष जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

.... वादी

बनाम

1. राजपाल पुत्र श्री जगनलाल
2. लक्ष्मीकान्त पुत्र जगनलाल
3. प्रेम पुत्री जगनलाल
4. सुमन देवी पुत्री जगनलाल

   समस्त जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुंझुनूं

.......प्रतिवादीगण

दावा :– खाता विभाजन, भूमि विनिमय अनुसार घोषनात्मक।

वादी की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री महावीर चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04/08/23 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिकी दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित भूमि कृषि भूमि खसरा नम्बर 706/469 रकबा 0.33 है., भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के कब्जेकास्त में है तथा खसरा नम्बर 707/469 रकबा 0.33 है. भूमि वादी के कब्जेकास्त में है। खसरा नम्बर 707/469 रकबा 0.33 है. का खातेदार वादी को एवं खसरा नम्बर 706/469 रकबा 0.33 है. का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को धोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हक में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 04/08/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)